

कार्यवृत्त

शुक्रवार, 14 फाल्गुन, शक संवत्, 1942

(दिनांक : 05 मार्च, 2021)

खण्ड-59

अंक-5

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, भराडीसैण (गैरसैण) में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही काजी मौ० निजामुद्दीन ने नियम 310 के अन्तर्गत सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य बढ़ाये न जाने के सम्बन्ध में दी गई सूचना को लिये जाने की मांग की गयी।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि नियम-310 की सूचना को वे नियम-58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे। प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि अत्यन्त हर्ष का विषय है कि आज कार्यसूची में भी सम्मिलित सभी प्रश्न उत्तरित हो गये। यह इस सम्मानित सदन की बड़ी उपलब्धि है कि 24वीं बार कार्यसूची में सम्मिलित सभी प्रश्न उत्तरित हुए और इनमें से कई बार निर्धारित समय से पूर्व भी उत्तरित हुए। मैं आप सभी को इस स्वस्थ संसदीय परम्परा और रिकार्ड बनाने के लिए बधाई और आभार देता हूँ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-300 के अन्तर्गत 24 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से 07 सूचनायें स्वीकार कर रहे हैं। निम्नलिखित सूचनाएं मा० सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयी।

1. श्री करन माहरा मातृत्व अवकाश की भांति बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल हेतु भी सरकारी कर्मचारियों को मातृ-पितृ सेवा अवकाश प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। (श्री अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर मा० सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)
2. हाजी फुरकान अहमद पिरान कलियर, जनपद हरिद्वार में गंगनहर के पुल के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में। (श्री अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर मा० सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)
3. श्री प्रीतम सिंह जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण में खजूरखाल-निगलानी-तिमुलपानी-गोगनानी-जमदड़ मोटर मार्ग का निर्माण कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किये जाने के सम्बन्ध में। (पढ़ी हुई मानी गई।)
4. श्री राजकुमार टुकराल जनपद ऊधमसिंह नगर के 66 रुद्रपुर विधान सभा में सिड़कुल द्वारा पूर्व में स्वीकृत सड़क निर्माण न होने के बावजूद भी पूर्ण भुगतान अग्रिम किये जाने के सम्बन्ध में। (पढ़ी हुई मानी गई।)
5. श्रीमती मुन्नी देवी शाह जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट का नाम संशोधित कर विकासखण्ड नन्दानगर ना होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में। (श्री अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर मा० सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थी।)

6. श्री देशराज कर्णवाल चमार जनपद हरिद्वार के इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों के गन्ने की साहब बकाया दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

(पढ़ी हुई मानी गई।)

7. श्री महेश सिंह नेगी जनपद अल्मोडा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के राजकीय इण्टर कालेज खेड़ा में गणित विषय की स्वीकृति न होने से व्याप्त अंसतोष के सम्बन्ध में **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के ग्राम मौलाना में अम्बेडकर पार्क के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में”, श्री आशुतोष पुत्र श्री अशोक कुमार, ग्राम—मानक माजरा, पो0—इकबालपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के ग्राम भलस्वागाज में शमशान घाट की चारदीवारी के सम्बन्ध में”, श्री अर्जुन पुत्र श्री धीर सिंह, ग्राम—भलस्वागाज कालसों, पो0—खास, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के ग्राम हल्लूमाजरा में जसवीर के घर से मेन चौराहे तक 400x4 मी0 सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में”, श्री जसवीर पुत्र श्री विजय, ग्राम हल्लूमाजरा, पो0—खास, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के ग्राम धीर माजरा में रविदास मंदिर के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में”, श्री राजकुमार पुत्र श्री सुखवीर, ग्राम धीरमाजरा, पो0—हल्लूमाजरा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा “जनपद हरिद्वार के ग्राम अकबरपुर कालसों में कब्रिस्तान की चारदीवारी के सम्बन्ध में”, श्री इसरार, ग्राम अकबरपुर कालसों, पो0—हल्लूमाजरा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

मा0 उच्च शिक्षा मंत्री ने “देव भूमि उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2021” पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

मा0 उच्च शिक्षा मंत्री ने “देव भूमि उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2021” को पुरःस्थापित किया।

मा0 उच्च शिक्षा मंत्री ने “सूरजमल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021” पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

मा0 उच्च शिक्षा मंत्री ने “सूरजमल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021” को पुरःस्थापित किया।

मा0 उच्च शिक्षा मंत्री ने “स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021” पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

मा0 उच्च शिक्षा मंत्री ने “स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021” को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-58 के अन्तर्गत 05 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वे इनमें से सभी सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुन रहे हैं।

सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य बढ़ाये न जाने के सम्बन्ध में नियम-310 की नियम-58 में परिवर्तित सूचना के अन्तर्गत ग्राह्यता के सम्बन्ध में मा0 सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन, श्री प्रीतम सिंह, श्री करन माहरा, श्रीमती ममता राकेश, हाजी फुरकान अहमद, श्री राजकुमार, श्री आदेश सिंह चौहान एवं मा0 नेता प्रतिपक्ष ने अपने विचार व्यक्त किये।

(12:22 बजे मा0 उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

(12:48 बजे मा0 अध्यक्ष पीठासीन हुए)

मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

विपक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा सदन का बहिर्गमन।

नन्दा गौरा देवी कन्याधन योजना के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्रीमती ममता राकेश ने विचार व्यक्त किये।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री के सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पुरोला विधान सभा क्षेत्र में विशेषज्ञ डाक्टरों, महिला डाक्टरों एवं स्टाफ नर्सों की तैनाती न किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री राजकुमार ने विचार व्यक्त किये।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री के सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद चमोली के अन्तर्गत भोटिया जनजाति नीति-माणा घाटी के लोगों को शीतकालीन भोटिया पड़ाव में निवास कर रहे लोगों की भूमि उनके नाम दर्ज न किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह ने विचार व्यक्त किये।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री के सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

उत्तराखण्ड क्रिकेट में अंडर-19 कैंप के लिए घोषित खिलाड़ियों के चयन में हुई धांधली के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री करन माहरा ने विचार व्यक्त किये।

मा0 खेल एवं युवा कल्याण मंत्री के सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

देशी व विदेशी कम्पनियों द्वारा जनपदों में पंजीकृत ट्रेकिंग व माउन्टेनरिंग एसोसियेशन के अधिकारों पर अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार ने विचार व्यक्त किये।

मा0 वन मंत्री के सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

14 बजकर 16 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही भोजनावकाश हेतु 15:00 बजे तक के लिये स्थगित की।

श्री अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही 15:15 तक स्थगित की गयी।

सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में 15:15 बजे पुनः आरम्भ हुई।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्यय पर चर्चा नेता प्रतिपक्ष डा0 इन्दिरा हृदयेश के भाषण से आरम्भ हुई। निम्नांकित सदस्यों ने विचार व्यक्त किये :-

श्री दिलीप सिंह रावत,

श्री धन सिंह नेगी,

श्री महेन्द्र भट्ट,

काजी मौ0 निजामुद्दीन,

श्री सहदेव पुण्डीर,

देशराज कर्णवाल

श्री नवीन दुम्का,

(16:29 बजे मा0 उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री विनोद चमोली,

श्री भरत चौधरी,

श्री राम सिंह कैड़ा,

(16:48 बजे मा0 अध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री मुकेश कोली,

श्री प्रीतम सिंह पंवार,

श्री हरबंस कपूर,

श्री आदेश सिंह चौहान,

श्री केदार सिंह रावत,

श्री सुरेश राठौर,

श्री आदेश चौहान,

श्री जी0आई0 ग्रेगरीमैन,

श्री चन्दन राम दास,

श्री विशान सिंह चुफाल,

श्री प्रीतम सिंह,

(18:00 बजे मा0 उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री गणेश जोशी,

श्री बलवन्त सिंह भौर्याल,

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल

(18:50 बजे मा0 अध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्रीमती ममता राकेश,

श्री संजय गुप्ता,

कुँवर प्रणव सिंह चैम्पियन,

मा0 संसदीय कार्यमंत्री ने आय-व्ययक पर उत्तर देते हुए भाषण दिया।

मा0 संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर चर्चा समाप्त हुई।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा ने निम्न असरकारी संकल्प प्रस्तुत किया :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि स्वर्गीय डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, पूर्व उपाध्यक्ष विधान सभा उत्तराखण्ड द्वारा भराड़ीसैण, (गैरसैण) जनपद चमोली में विधान सभा भवन निर्माण कार्य आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए योगदान प्रदान करने के दृष्टिगत भराड़ीसैण (गैरसैण) विधान सभा परिसर के विधायक हॉस्टल का नाम उनकी पुण्य स्मृति में कर दिया जाय।”

आज की कार्यसूची के मद संख्या 20(1) पर श्री अध्यक्ष द्वारा संकल्प प्रस्तुत करने हेतु श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा ने निम्न असरकारी संकल्प प्रस्तुत किया :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि गैरसैण (भराड़ीसैण) को स्थायी राजधानी घोषित किया जाय।”

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा ने निम्न असरकारी संकल्प प्रस्तुत किया :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में चयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रादेशिक स्तर पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था को समाप्त कर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण की सुविधा सुनिश्चित की जाय और ऐसी संस्थाओं को चयनित करने के लिए इस वर्ग के प्रबुद्ध जनों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाय।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा ने निम्न असरकारी संकल्प प्रस्तुत किया :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड ओखलकाण्डा के ग्राम सभा ढोलीगांव व लूगड़ में जनहित को देखते हुए आई0टी0आई0 खोला जाय।”

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा ने निम्न असरकारी संकल्प प्रस्तुत किया :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में अक्टूबर, 2005 के बाद से नियुक्त शिक्षक/कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षक/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाय।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थित भिलंगना विकास खण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विकास खण्ड का पुनर्गठन कर पृथक से एक नया “बाल गंगा विकास खण्ड” बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लोक निर्माण विभाग के कोर नेटवर्क में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार से संशोधन का निवेदन किया जाय।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग के पदों पर विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र नियुक्तियों की जाय”।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जाखणीधार का भूगोल टिहरी बांध की झील बनने से अव्यवहारिक हुआ है, जिसे पुनर्गठन कर मदन नेगी अथवा राजाखेत के नाम से पृथक नया विकासखण्ड बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय”।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि काजी मौ0 निजामुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त हुए समस्त वित्तीय घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश से कराई जाय”।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत स्थित बिन्दुखत्ता तहसील लालकुआँ, जिला नैनीताल एवं अन्य खत्तों व ऐसे अन्य गांवों जो वन भूमि पर बसे हैं, में निवास कर रहे नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे सम्बंधित समस्त क्षेत्रों को राजस्व गांव बनाया जाय”।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाय”।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

“यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गाय को भारतीय कृषि, आर्थिकी तथा आध्यात्म का आधार होने के कारण राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकृति दी जाय एवं इस राष्ट्रीय पशु के संरक्षण एवं विकास हेतु “राष्ट्रीय गाय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाय।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में से प्रतिवर्ष रू0 01 करोड़ मन्दिरों तथा पंचायत स्थलों के विकास, जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण, पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया जाय।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कारगर नीति बनायी जाय।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी एवं चकराता के मूल निवासी अछूत कोल्टा जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय”।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मत्स्य विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर 2016 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लगभग 60 पदों पर बिना आरक्षण के माध्यम से आउट सोर्सिंग/उपनल से तथा 14 पदों पर संविदा के द्वारा बिना विज्ञप्ति एवं आरक्षण लागू न करते हुए भर्ती की गई, प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए जांच की जाय”।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन धारकों की पेंशन में दोगुनी वृद्धि की जाय”।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

“यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि उत्तराखण्ड राज्य में ई-नेटवर्किंग में मोबाईल कार्य हेतु कार्यरत सभी कम्पनियां अपने-अपने उपभोक्ताओं की किसी भी तरह की जानकारीयां किसी अन्य कम्पनियों को उपलब्ध न कराये”।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में राज्य गठन से पूर्व राज्य में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के लिए पात्रता निर्धारण किये जाने की शर्तों में शासनादेश संख्या-1118/एक-1/2013-01(20)2013 में दिये गये शासनादेश संख्या 2588/एक-4/सा0प्रा0/2001 दिनांक 20 नवम्बर, 2001 में दी गई व्यवस्था पर पुनर्विचार करते हुए यह माना जाय कि शासनादेश के बिन्दु संख्या-02 में उल्लेख है कि इस श्रेणी में वही व्यक्ति आयेंगे जिनका स्थाई आवास उत्तरांचल में हो तथा उत्तरांचल के सद्भाविक (Bonafide Residents) निवासी हों, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय”।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अनु0 जनजाति व अन्य परम्परागत वन (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद्सम्बन्धी नियमावली 2008 में संशोधन हेतु संकल्प पारित कर भारत सरकार की प्रेषित किया जाय कि अन्य परम्परागत वन निवासी 13 दिसम्बर, 2005 से पहले तीन पीढ़ियों 75 वर्ष से वन भूमि पर काबिज हो, के स्थान पर पीढ़ी 25 वर्ष से वन भूमि में काबिज हो किया जाय”।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि देवभूमि उत्तराखण्ड में शराब को पूर्ण प्रतिबन्धित किया जाय”।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पर्वतीय क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की शीघ्र तैनाती की जाय”।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि “जाति व्यवस्था को आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन एवं समाज में समरूपता/एकरूपता बनाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाये कि वह इस उद्देश्य से नाम के पीछे जाति, गोत्र आदि सूचक शब्दों को हटाने के लिए आवश्यक विधि व्यवस्था निरूपित करें या राज्य सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के नाम के आगे उनकी जाति जो स्वेच्छा से लगाना चाहें उनके नाम के आगे उनकी जाति गोत्र सूचक शब्द लगाये जाने की अनुमति प्रदान करें अथवा प्रदेश में जिन लोगों के नाम के पीछे जाति/ गोत्र सूचक शब्द लगा हुआ है उन्हें तत्काल हटाया जाय। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय”।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों को समान कार्य समान वेतन/नियमित किया जाय”।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि “प्रदेश में प्रतिस्पर्धात्मक समरूपता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि माननीय सदस्यों, सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा दीक्षा सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में ही सुनिश्चित की जाय, जहां पर यह कार्यरत है।

श्री चन्दन राम दास, ने नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-

“यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के किसानों की फसलों को बन्दरों व सुअरों के आतंक से बचाने व निजात दिलाने के लिए ठोस नीति बनायी जाय।”

उपर्युक्त प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्रीमती ममता राकेश, ने नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है, कि डाटकाली मन्दिर को जाने वाली सुरंग के पुनर्निर्माण एवं वन वे मोटर मार्ग सुनिश्चित किया जाय।”

उपर्युक्त प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, ने नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-

“ इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में निरन्तर हो रही दैवीय आपदा के दृष्टिगत अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग भूमिहीन परिवारों को राजस्व भूमि आवंटित कराने हेतु एक उच्चस्तरीय प्रादेशिक समिति गठित की जाय। जो उनके समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि मूलभूत सुविधाओं युक्त स्थलों का विकास भी सुनिश्चित किया जाय और सिडकुल जैसी भूमि भी इसमें शामिल की जाय।”

उपर्युक्त प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री राम सिंह कैड़ा, ने नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के विकास खण्ड-ओखलकाण्डा, धारी व रामगढ़ के मध्य एक पालीटेक्निक कालेज खोला जाय।”

उपर्युक्त प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

“यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों में प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने में बाहरी प्रदेशों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षा से अधिक अवसर प्रदान करने पर विचार किया जाय।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

“यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में एक कार्य एक टेण्डर के स्थान पर छोटी-छोटी योजनाओं के टेण्डर पर कार्य कराये जाय।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि बी0डी0 इन्टर कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में स्टेडियम निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्थल मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप स्टेडियम निर्माण कराने पर विचार किया जाय।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

“यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में वाहन दुर्घटनाओं तथा दैवीय आपदा के अन्तर्गत मारे गये व्यक्तियों को एक समान प्रतिकर/अहेतुक सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान किया जाय।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

“यह सदन प्रस्ताव करता है, कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश में काफी जन हानि एवं आपदा जैसे हालात पैदा हो गये हैं, जिस हेतु प्रदेश सरकार राज्य को दैवीय आपदा घोषित करते हुए केन्द्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव भेजे कि वे केन्द्र सरकार द्वारा इसकी भरपाई करने हेतु राज्य को विशेष अनुदान राशि मुहैया करायी जाय।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

“यह सदन प्रस्ताव करता है, कि विधान सभा भवन भराड़ीसैण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर “डा0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा कर दिया जाय।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

“यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के समस्त अशासकीय विद्यालयों में 1992 से अब तक एस0सी0/एस0टी0/ओ0 बी0सी0 के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति की जाय।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि ट्रामा सेन्टर कण्डीसौड़ (छाम) विकास खण्ड थौलधार जनपद टिहरी गढ़वाल को शीघ्र संचालित कराया जाय।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

“यह सदन प्रस्ताव करता है, कि सन् 1822 की क्रान्ति को पहली स्वतंत्रता क्रान्ति मानते हुए यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से भारत सरकार को भेजा जाय।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

“यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेज के क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कराया जाय।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर जारी रहेगी।

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीण काश्तकारों के पुनर्वास से सम्बन्धित वाद एवं लम्बित शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाय।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर जारी रहेगी।

“यह सदन प्रस्ताव करता है, कि सरकार द्वारा सीधी भर्ती का रोस्टर बदलकर अनु0 जाति को पहले स्थान से हटाकर 06 वां स्थान करने पर तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 07 से हटाकर 08 वां स्थान करने तथा अनुसूचित जनजाति के क्रमांक 24-25 वां स्थान करने से इस वर्ग के लोगों हो रहे लाभ से वंचित हो गये हैं जबकि फरवरी 2019 में ही रोस्टर बदलने का क्या कारण है सरकार द्वारा तत्काल पूर्व रोस्टर को पुनः स्थापित किया जाय।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

“यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के समस्त पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में खाली पड़ी सरकारी व असरकारी/लावारिस भूमि को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन गरीब लोगों को विधिवत आवंटित किया जायें, जिससे गरीब अपने परिवार का लालन-पोषण भी कर सकें, और पहाड़ से पलायन भी रोका जा सके।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

“यह सदन प्रस्ताव करता है, कि टिहरी बांध परियोजना निर्माण से प्रभावित काश्तकारों के पुनर्वास से सम्बन्धित वाद शिकायतों को शीघ्र निस्तारण किया जाय।”

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा ने नियम-54 की निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत की:-

यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में गन्ने का मूल्य बढ़ाये जाने हेतु इस सदन में चर्चा करायी जाय।

उपर्युक्त सूचना पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा ने नियम-54 की निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत की:-

यह सदन प्रस्ताव करता है कि अनुसूचित जाति बाहुल्य राजस्व ग्रामों/क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किये जाने हेतु इस सदन में चर्चा करायी जाय।

उपर्युक्त सूचना पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा ने नियम-54 की निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत की:-

यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद हरिद्वार के इकबालपुर क्षेत्र में प्रस्तावित नहर का कार्य तत्काल शुरू कराने के सम्बन्ध में इस सदन में चर्चा करायी जाय।

उपर्युक्त सूचना पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा ने नियम-54 की निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत की:-

यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद हरिद्वार के सम्पूर्ण क्षेत्र को कुम्भ क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में इस सदन में चर्चा करायी जाय।

उपर्युक्त सूचना पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा ने नियम-54 की निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत की:-

यह सदन प्रस्ताव करता है कि युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए हरिद्वार में पूर्ण नशाबन्दी किये जाने हेतु इस सदन में चर्चा करायी जाय।

उपर्युक्त सूचना पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी :-

“प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाय।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी :-

“प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए इस सदन में चर्चा कराई जाय।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के कार्मिक विभाग के अन्तर्गत “इरशाद हुसैन” आयोग का गठन किया गया था जिसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर अभी तक नहीं रखी गई है। सदन के पटल पर यह रिपोर्ट अविलम्ब रखी जाय।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी:-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के प्राइवेट शुगर मिलों से किसानों की कई सौ करोड़ों रुपये गन्ने की बकाया रकम दिलाने हेतु इस सदन में चर्चा कराई जाय।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी :-

“आयोजनागत एवं आयोजनोत्तर योजनाओं के आय-व्यय निर्धारण में संविलियन होने से एस0सी0पी0 एवं टी0एस0पी0 का मात्राकरण जो पूर्व में इनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता था उस व्यवस्था के समाप्त होने के कारण पृथक-पृथक मात्राकरण आय-व्यय के नहीं होने के कारण इन योजनाओं का अस्तित्व ही निर्थक हो गया है क्योंकि जनसंख्या के आधार पर आय-व्यय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अतः इनके मात्राकरण के लिए तत्काल सरकार नीति निर्धारित करें।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी:-

“अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए अनुसूचित जाति उप योजना (ब) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (ब) जो केन्द्र की विशेष अनुदान से संचालित होती है। उक्त योजनाओं को पारदर्शी एवं जबाबदेह बनाने के लिए तेलंगाना राज्य की भांति अनुसूचित जाति उप योजना (ब) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (ब) को अधिनियमित किया जाये। ताकि प्रतिवर्ष केन्द्र द्वारा दी जाने वाली विशेष अनुदान से संचालित योजनाओं की समीक्षा कर विभाग की जबाब देही तय की जा सके।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी :-

“सदियों से सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर गैर बराबरी का दंश झेल रहे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के बच्चों के लिए उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय/सैनिक स्कूल की तर्ज पर एक-एक आवासीय विद्यालय बनाये जायें, ताकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के बच्चों को मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद-21के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ गुणवत्तायुक्त शिक्षा का अधिकार हाँसिल हो सके।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी :-

“राज्य में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार बनाने के लिए राज्य में सभी सरकारी एवं गैर सरकारी मेडिकल कालेजों में बनने वाले डॉक्टरों को निर्धारित समय के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिए अनुबंधित किया जाये।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी :-

“उत्तराखण्ड राज्य में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत देय मजदूरी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आय के अनुसार निर्धारित की जाये। ताकि मनरेगा उत्तराखण्ड में ग्रामीण विकास में मील का पत्थर सिद्ध हो सके।”

मा0 संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव कि उत्तराखण्ड की स्थानीय भाषा बोलियों के संरक्षण एवं संवर्धन तथा आनुषांगिक विषयों हेतु विधान सभा की स्थानीय बोली संरक्षण संवर्धन समिति, उत्तराखण्ड विधान सभा सदस्यों के वेतन तथा भत्तों से सम्बन्धित विषयों पर विचार एवं संस्तुतियां प्रस्तुत करने हेतु विधान सभा के सदस्यों के वेतन तथा भत्तों से सम्बन्धित तदर्थ समिति एवं युवा विकास एवं आनुषांगिक विषयों हेतु युवा विकास समिति का गठन किया जाय। इन सभी समितियों में 07 से अनधिक सदस्य होंगे।

मा0 संसदीय कार्यमंत्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि यह सदन मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को इन समितियों में सदस्यों का नाम निर्दिष्ट करने हेतु मा0 अध्यक्ष को अधिकृत करता है। इस प्रकार नाम निर्दिष्ट सदस्य सदन द्वारा विधिवत निर्वाचित समझ जायेंगे। प्रस्ताव पारित हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से :-

मा0 सदस्य श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी की सूचना जो कि जनपद चम्पावत के पूर्णागिरी मंदिर के वर्षों से अधूरे पड़े निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, को नियम- 53 के अंतर्गत वक्तव्य के लिए तथा

मा0 सदस्य श्री दीवान सिंह बिष्ट की सूचना जो कि जनपद नैनीताल के रामनगर के अन्तर्गत वर्ग 3 की भूमि पर दर्ज पट्टेदारों/काबिज कास्तकारों के विनियमितीकरण के संबंध में है, को नियम- 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

जनपद नैनीताल एवं प्रदेश के सिड़कुल की कम्पनियों में पहाड़ के युवाओं को नौकरी से हटाए जाने के सम्बन्ध में, श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2021 को दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने नियम-53 के अंतर्गत वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बागेश्वर के भगरतोला में शहीद राम सिंह बोरा जूनियर हाईस्कूल के उच्चीकरण के सम्बन्ध में, श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2021 को दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का नियम-53 के अंतर्गत केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

सदन की कार्यवाही 19 बजकर 53 मिनट पर अगले दिन 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

मुकेश सिंघल,
सचिव (प्रभारी)
विधान सभा।

स्वीकृत,

प्रेम चन्द अग्रवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।